बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 04/06/2026

अ०सं०:संब0–6179/2025–753/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की संबद्धता बोर्ड की बैठक कि कार्यवली सं0–BOA-03/13 पर दिनांक–03.06.2026 को गैर–सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित फार्मेसी महाविद्यालय को कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए **सत्र–2025–26** हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

Sl No	Name of the Pharmacy College	Course	Intake Capacity for 2025-26
1	2	3	4
1	Rameshwar Singh Pharmacy College, Po-Pandey Parsawan, Ps-M.M.C.H, Gaya-823004	B. Pharm	100

नियम एवं शर्त्तें:–

1. संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. सभी फार्मेसी महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली /स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का छः माह के अंदर निरीक्षण किया जाएगा तथा संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
7. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही सबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता अवधि विस्तार को वापस ले लिया जाएगा तथा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

10. महाविद्यालय / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब॰–6179 / 2025–753 / पटना, दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि–प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित फार्मेसी महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक) / डीन(फार्मेसी) / डीन(परीक्षा) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब॰–6179 / 2025–753 / पटना, दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना